| तारीख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | राजू गुर्जर पुत्र मांगू गुर्जर निवासी सेवनी तह. व जिला शाहपुरा (राज०)<br>बनाम<br>लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनु०) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा<br>प्रकरण संख्या :– 13 / 2023<br>जीसीएमएस नं. :– 2024 / 42<br>(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005) | |
| 13-3-24 | –: निर्णय :–<br>1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।<br>2. यह अपील मा0 सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के अपील संख्या RIC/BHIL/A/2023/300706 में दिनांक 12.01.2024 को पारित निर्णय से इस न्यायालय को रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर प्रकरण में निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदत्त किये गये है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 14.10.2023 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं भू–प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु आवेदन से वांछित सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनु०) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से संबंधित होने से प्रार्थी का उक्त आवेदन अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अंतरित किया गया।<br>3. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनु०) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने जरिये पत्रांक / भू. अ. / रेकार्ड / सूकाअ / 2023 / 67757 दिनांक 11.03.2024 से इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वांछित सूचना अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.12.2023 को ही प्राप्त कर ली गई है, अपीलार्थी प्राप्त सूचना से संतुष्ट है जिसकी प्राप्ति रसीद अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।<br>4. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू–अभिलेख अनु०) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त कर प्राप्ति रसीद जरिये हस्ताक्षर दी गई है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है एवं अपीलार्थी प्राप्त सूचना से संतुष्ट है।<br>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।<br>6. निर्णय आज दिनांक 13-3-24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।<br>(नमित मेहता)<br>प्रथम अपीलीय अधिकारी<br>लोक सूचना एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा<br>जिला कलक्टर<br>भीलवाड़ा | |